संख्या–1645/9–8–2014–2सी.एस./12

प्रेषक

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश

2 समस्त पुलिस महानिरीक्षक/
पुलिस उप महानिरीक्षक
उत्तर प्रदेश

3 समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

4 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

5 समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2014

विषयः प्रदेशके अन्तर्गत पशुबधशालाओं के संचालन तथा पशुबधशालाओं में अवैध रूप से हो रहे पशुबध को रोके जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश। .

महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुबधशालाओं के संचालन से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में दायर रिट याचिका संख्या (सिविल)/309/2003 लक्ष्मी नारायन मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित किये गये विभिन्न आदेशों के अनुपालन में भारत सरकार के द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में शासन के कार्यालय ज्ञाप

संख्या–1838/9–8–2012–2सी.एस./2012 दिनांक 11 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रदेश में "**राज्य स्तरीय समिति**" का गठन किया गया है, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस समिति को पशुबधशालाओं के संचालन के सम्बन्ध में विभिन्न दायित्व सौंपे गये हैं।

2– प्रदेश में पशुबधशालाओं के संचालन हेतु गठित "**राज्य स्तरीय समिति**" की विगत बैठकों में प्रदेश में संचालित पशुबधशलाओं के सम्बन्ध में विभिन्न बिन्दुओं पर हुए विचार विमर्श में यह पाया गया कि प्रदेश के नागर निकायों में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 में स्थानीय उपभोग के लिए मांस आपूर्ति हेतु पशुबधशालाओं के संचालन की व्यवस्था दी गयी है, जिसके अन्तर्गत नागर निकायें पशुबधशालाओं का संचालन करती है। नागर निकायों द्वारा संचालित अधिकांश पशुबधशालायें अत्यन्त ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिससे जहॉ इन पशुबधशालाओं से आपूर्ति होने वाले मांस की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी पशुबधशालाओं के संचालन से वहॉ पर पर्यावरण तथा जल प्रदूषण के कारण स्थानीय नागरिकों को अत्यन्त ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसी जीर्ण शीर्ण पशुबधशालाओं का आधुनिकीकरण किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समुचित कार्यवाही की जा रही है।

3– प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में निजी क्षेत्रों द्वारा निर्यातोन्मुखी पशुबधशालाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में पशुओं का बध हो रहा है। इन निजी क्षेत्र की पशुबधशालाओं के संचालन में विभिन्न माध्यमों से यह तथ्य संज्ञान में आये हैं कि उनमें अत्यधिक संख्या में पशुओं का बध किये जाने से महिषवंशीय व दुधारू

पशुओं में कमी आ रही है, जिससे जहॉ एक ओर दुग्ध उत्पादन में कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर पशुओं की चोरी की घटनायें बढ़ रही हैं तथा पशुओं के प्रति क्रूरता बढ़ते जाने की भी शिकायतें प्रकाश में आयी हैं, इससे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द विगड़ने की सम्भावना कभी–कभी उत्पन्न हो जाती है।

4– दुधारू पशुओं के अबैध बध एवं उनके अनाधिकृत परिवहन के सम्बन्ध में विधियों में निम्न प्राविधान पूर्व से ही विद्यमान हैं:–

(1) उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955

(2) पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

उपरोक्त दोनों अधिनियमों के अधीन निम्नलिखित नियम भी बनाये गये हैं:–

(1) पशुओं का परिवहन नियम 1978

(2) बधशाला नियम, 2001

(3) पशुओं का पैदल परिवहन नियम, 2001

(4) पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण हेतु सोसाइटियों का गठन नियम 2001

(5) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–194 में ओवर लोडिंग की दशा में दण्ड का प्राविधान है।

5– पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा–38 के अधीन पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों का गठन एवं विनियमन नियम 2001 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पशुधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3348 / 37–1–10–11(29) / 2001 दिनांक 28.07.2010 द्वारा

"सोसायटी फॉर प्रिवेशन ऑफ क्रूएलटी टू एनीमल" का गठन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न अधिनियमों/नियमावलियों में कड़े प्राविधानों के साथ–साथ गृह(पुलिस) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–840 पी/छः–पु–3–2013–20पी/ 2010 दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुधारू पशुओं के अवैध वध एवं उनके अनाधिकृत परिवहन को रोके जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए शासन द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि जनपद स्तर पर होने वाली कानून व्यवस्था सम्बन्धी बैठकों में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के कियान्वयन की समीक्षा कानून व्यवस्था की दृष्टि से की जाय तथा पुलिस द्वारा की जा रही सामान्य चेकिंग के दौरान गोवंश की तस्करी की भी चेकिंग की जाय तथा पशुक्रूरता निवारण अधिनियम के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

शासन के निर्देशों के बावजूद पशुवधशालाओं में निर्धारित अनुमन्य क्षमता से अधिक पशुवध किये जाने, अवैध पशुवध तथा पशुओं के प्रति क्रूरता के मामले विभिन्न माध्यमों से शासन के संज्ञान में लाये गये हैं तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी रिट याचिका (सिविल)309/2003 लक्ष्मी नारायन मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में समय–समय पर पारित आदेशों में उक्त बिन्दुओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए विभिन्न आदेश पारित किये गये हैं।

6– अतः पशुबधशालाओं के संचालन, पशुबधशालाओं में पशुओं के अवैघ वध एवं पशुओं के प्रति क्रूरता से सम्बन्धित मामलों पर शासनादेश संख्या–2303/9–8–2012–15(रिट)/2012 दिनांक 22 अगस्त, 2012 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7— प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्रों निर्यातोन्मुखी तथा नगर निगमों की पशुबधशालाओं में निर्धारित अनुमन्य क्षमता से अधिक पशुबध रोके जाने के सम्बन्ध में पशुबधशाला के अन्तर्गत पशुओं को लाये जाने का एकल प्रवेश बिन्दु (Single Entry Point) हो जिसपर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा हो। पशुओं को पशुबधशाला के अन्दर प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश बिन्दु पर पुलिस तथा पशुधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थित अनिवार्य रखे जाने का दायित्व जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन का होगा, जो पशुबध हेतु लाये जा रहे पशुओं का विस्तृत विवरण यथा पशु कहॉ से लाये जा रहे है, परिवहन का माध्यम/वाहन की संख्या/वाहन चालक का नाम, पशुबध हेतु लाये जाने वाले पशु, की पशुबध हेतु आवश्यक मानक की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, पशु दुधारू तो नहीं हैं, के विषय में पृथक रजिस्टर में सूचनायें दर्ज की जाये, जिसका समय—समय पर जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाय।

8— प्रदेश के अन्दर स्थित सभी बधशालाओं के प्रत्येक हिस्से में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाय और आगामी 03 माह के पश्चात् यदि किसी पशुबधशाला में सी0सी0टी0वी0 कैमरा कियाशील होना नहीं पाया जाता है, तो सम्बन्धित पशुबधशाला के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

9— प्रदेश के समस्त जनपदों में पशुबधशालाओं के निरीक्षण/ समीक्षा किये जाने के लिए प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में पशुबधशालाओं के संचालन हेतु गठित "**राज्य स्तरीय समिति**" की बैठक दिनांक 14.03.2013 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 01.04.2013 में स्थानीय स्तर पर जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये थे, जो

जनपद में स्थित पशुबधशालाओ में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पशुबध होने के सम्बन्ध में आकस्मिक निरीक्षण/समीक्षा कर, यदि पशुबधशाला में कोई कमी पायी जाती हैं, तो सम्बन्धित पशुबधशाला के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

10— पशुओं की तस्करी, अवैध वध अनाधिकृत परिवहन रोकने के सम्बन्ध में जनपद के पुलिस प्रशासन तथा पशुधन विभाग के अधिकारी, जनपदों में स्थापित चेक पोस्टों, समय–समय पर चेकिंग की जाय और चेकिंग के दौरान अवैध पशु परिवहन तथा पशुओं के पशुबधशालाओं में भेजे जाने का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो दोषियों के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

11— पशुबधशालाओं में एक पशु चिकित्सक के द्वारा 08 घंटे में 96 पशुओं का नियमानुसार परीक्षण किये जाने की व्यवस्था है। पशुबधशालाओं में अनुमन्य पशुबध क्षमता के आधार पर पर्याप्त संख्या में पशु चिकित्सक तैनात है तथा उनके द्वारा क्या पशुबधशालाओं में पशुबध से पूर्व एन्टीमार्टम तथा पशुबध के उपरान्त पोस्ट मार्टम किये जाने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, इसका भी निरीक्षण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम के द्वारा समय–समय पर किया जाय।

12— पशुबधशालाओं के संचालन के दौरान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण के विषय में समय–समय पर जारी निर्देशों एवं मार्ग दर्शिका

का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा पशुबधशाला में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा पशुबध के फलस्वरूप जनित ठोस/द्रव अपशिष्टों के निस्तारण हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाय, यदि किसी भी पशुबधशाला में जल प्रदूषण , वायु प्रदूषण तथा पशुबध के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्टों के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था नहीं है, तो सम्बन्धित पशुबधशाला के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाय।

13– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 309/2003 लक्ष्मी नारायन मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत पशुबधशालाओं के संचालन हेतु गठित **"राज्य स्तरीय समिति"** को पशुबधशालाओं की स्थापना हेतु लाइसेन्स जारी किये जाने का अधिकार दिया गया है। अतः किसी भी जनपद में **"राज्य स्तरीय समिति"** की अनुमति के बिना पशुबधशाला के संचालन हेतु अनुमति प्रदान न की जाय।

14– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुबधशालाओं के संचालन, अवैध पशुबध को रोके जाने तथा पशुओं के अवैध परिवहन को रोके जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा जारी किये गये आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

27/6/17

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या– 1645 (1)/9–8–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग/पर्यावरण विभाग/पशुधन विभाग/ पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

4– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

5– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

30/4/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।